सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)डीग

मु0 नम्बरः– 79/2012(जी.सी.एम.एस. 2012/00021)

पीठासीन अधिकारीः–श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. समन्दर सिंह पुत्र झुज्जी नवीरा नारायन
2. हीरा सिंह } पिस0 खचेरा नवीरान नारायन
3. टीकम सिंह }
4. ओमप्रकाश }
5. निहाल सिंह }
6. राधे याम } पिस0 हरी सिंह
7. दीपचन्द }
8. बु.द्वी पुत्र राम सिंह
9. तेज सिंह }
10. विजेन्द्र सिंह }
11. मान सिंह } पुत्रगण मोहन सिंह नवीरा खैमा
12. दिगम्बर सिंह }
13. रूप सिंह }
14. भरतलाल } पुत्रगण खैमा

} जातियान जाट नि0 ग्राम निगोही तह0डीग

–वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 24.12.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 25/2.10 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग में स्थित है। साविक आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 9 विस्वा व खसरा नम्बर 20 रकबा 13 वीघा 8 विस्वा वाके ग्राम निगोही तहसील डीग में स्थित है,जिसका

ण्ड अधिकारी
(डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रबंध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टेयर बनाया गया है। वादी झुज्जी पुत्र नारायन,वादी संख्या 2 व 3 खचेरा पुत्र नारायन, वादी संख्या 4 लगायत 7 हरी सिंह पुत्र राम सिंह के पुत्रगण ओमप्रकाश वादी संख्या 4,निहाल सिंह वादी संख्या 5,राधेश्याम वादी संख्या 6,दीपचन्द वादी संख्या 7 है। वादी संख्या 8 केहरी, वादी संख्या 9 लगायत 12 मोहन सिंह पुत्र खैमा वादी संख्या 13 व 14 खैमा पुत्र पूरना की संतान है जिनके पिता व पूर्वजों की मृत्यु हो गई है। परसादी लावल्द औरत फौत हुआ है। उक्त पूर्वजों से प्राप्त जायदाद पर वादीगण बतौर वारिस काबिज है। विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त,खुदकाश्त की आराजी रही है जिस पर सम्वत 2012 से पूर्व से वादीगण के पूर्वजों का कब्ज व काश्त रहा है व अन्य हिस्सेदारों से हिस्सा बंटवारे में वादीगण के पूर्वजों को प्राप्त हुई जिसमें वादीगण के पूर्वजों को प्राप्त हुई जिसमें वादीगण के पूर्वज नारायन पुत्र मौहरपाल का बतौर मालिक कब्ज व काश्त रहा है। वादीगण संख्या 01 लगायत 03 के बाबा नारायन वादीगण के परिवार में कर्ताखानदान थे। इस कारण उक्त आराजी नारायन पुत्र मौहरपाल के खुदकाश्त में दर्ज रही है। सन 1955 यानि सम्बत 2012 में राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के समय वादीगण के पूर्वज नारायन पुत्र मौहरपाल आराजी मुत0 पर वाहैसियत मालिक हिस्सेदार खुदकाश्त काबिज थे और उनको मुताविक धारा 15 राजस्थान टीनेंसी एक्ट हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा जमीदारी–विश्वेदारी उन्मूलन अधि0 सन 1959 के लागू होने के समय भी वादीगण के पूर्वजों को खातेदार अंकित नहीं किया तथा आराजी मुत0 को गलत तौर पर राजस्व रिकर्ड में चारागाह अंकित कर दिया कानूनन वादीगण के पूर्वजों को आराजी मुत0 पर खातेदार काश्तकार अंकित करना चाहिए था क्योंकि आराजी मुत0 का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ ही किया जाता रहा है, इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण के पूर्वजों को नहीं हो सकी थी। लेकिन जब तक जीवित रहे काबिज रहे उनकी मृत्यु के पश्चात आराजी मुत0 पर विरासतन वादी संख्या 01 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 1/6 में व हिस्सा बरावर, वादी संख्या 4 लगायत 7 हिस्सा 1/6 में व हिस्सा बरावर के तथा वादी संख्या 8 हिस्सा 1/6 का व वादी संख्या 9 लगायत 12 हिस्सा 1/9 में व हिस्सा बरावर के तथा वादी संख्या 13 व 14 प्रत्येक हिस्सा 1/9, 1/9 पर वाहैसियत खातेदार काबिज काश्त है लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत तौर पर चारागाह दर्ज किया जा रहा है जोकि कलमजन किया जाकर वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 25/2.10 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग पर वादीगण संख्या 01 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 2 व 3 हिस्सा 1/6 में वाहिस्सा बरावर वादीगण संख्या 4 लगायत 7 हिस्सा 1/6, में वाहिस्सा बरावर, वादी संख्या 8 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 9 लगायत 12 हिस्साा 1/9 में वाहिस्सा बरावर, वादी संख्या 13 हिस्सा 1/9, वादी संख्या 14 हिस्सा 1/9 के वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है पर गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा फरमाया जावे कि वे वादीगण को आराजी मुत0 से बेदखल नहीं करें।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। जबाव पैरोकार सरकार में वर्णित किया गया है कि लक्ष्मन सिंह का सजरा अंकित किया गया है जबकि गत नकल जमाबन्दी सम्बत 2009 एवं 2013 में खुदकाश्त नारायन ही अंकित है अन्य का नाम अंकित नहीं है। हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टे0 वाके ग्राम निगोही चारागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। खसरा नम्बर 25 मुताविक रिकार्ड चारागाह दर्ज है चारागाह पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमी के विरूद्व राज.भू.राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली कर पैनल्टी बसूली का प्राबधान है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण खसरा नम्बर 25/2.10 हैक्टे0 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग पर हिस्सानुसार वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण जरिये डिक्री प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?
3. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी समन्दर सिंह के बयान पंजीबद्व कराये गये। शेष साक्ष्य वादीगण में कई अवसर दिये जाने पर शेष साक्ष्या वादीगण पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 15.05.2024 को साक्ष्य वादीगण बंद की जाकर प्रकरण को फाईनल बहस हेतु रखा गया। दिनांक 13.11.2024 को प्रति0/प्रतिनिधि सरकार तहसीलदार डीग के द्वारा अपनी ओर से लिखित बहस पेश की गई। जिसमें अंकित है कि वर्णित भूमि चारागाह है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2009, 2013 में खुदकाश्त नारायन अंकित है जिसमें किस्म कदीम दर्ज है जोकि प्रदर्श–7 दर्ज है। वादपत्र बिन्दु संख्या 4 में लक्ष्मन सिंह का सजरा अंकित है इसके साथ खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 लगायत 2017 जिस पर प्रदर्श–8 दर्ज है,जिसमें कोई फसल दर्ज नहीं है तथा उसमें मकबूजा मिलकियत सरकार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सरकारी(चारागाह) ही है। उक्त भूमि पर 132 के.वी. जी.एस.एस. अंजारी–डंगीका के निर्माण हेतु इस भूमि को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय डीग द्वारा आदेश क्रमांकःराजस्व/राजकाज सन्दर्भ संख्या 11805273 दिनांक 15.11.2024 से आवंटित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 03.12.2024 को वकील वादीगण के द्वारा अपनी लिखित बहस पेश की गई। जिसमें दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि वादीगण ने नवीन आराजी खसरा नम्बर 25/2.10 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग के साविक खसरा नम्बर 19 रकबा 0.09 विस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 13 वीघा 8 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 25/2.10 निर्मित किया गया है। उक्त आराजी वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त खुदकाश्त की रही है। जिस पर सम्बत 2012 से पूर्व से वादीगण के पूर्वजों का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

काश्त रहा है।वादीगण के पूर्वज नारायन पुत्र मौहरपाल का बतौर मालिक कब्जा व काश्त उक्त आराजी पर सम्बत 2012 से पूर्व से रहा है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र,प्रति0 पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह PW-1 समन्दरसिंह,जमाबन्दी सम्बत 2064–2067 हाल खसरा नम्बर 25 मकबूजा चारागाह प्रदर्श–1,भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टे0 साविक खसरा नम्बर 19 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा खसरा नम्बर 20 रकबा 13 वीघा 8 विस्वा से बना है। प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्बत 2009 साविक खसरा नम्बर 19 व 20 कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त नारायन दर्ज है,प्रदर्श–2,जमाबन्दी सम्बत 2013 साविक खसरा नम्बर 19 व 20 खुदकाश्त नारायन दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 वाद से भिन्न खसरा नम्बर प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्बत 2013 साविक खसरा नम्बर 19 व 20 प्रदर्श–7, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 से 2017 साविक खसरा नम्बर 19 व 20 के कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त नारायन सिंह सम्बत 2016 में मकबूजा मिल्कियत सरकार दर्ज है प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014–2017 वाद से भिन्न खसरा नम्बर प्रदर्श–9, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014–20147 वाद से भिन्न खसरा नम्बर प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014–2017 वाद से भिन्न प्रदर्श–11,खसरा गिरदावरी सम्बत 2014–2017 वाद से भिन्न खसरा नम्बर प्रदर्श–12, जमाबन्दी सम्बत 2017–2020 वादपत्र से भिन्न खसरा नम्बर, हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टे0 के रिकार्ड एवं मौके के सम्बन्ध में तहसीलदार डीग की रिपोर्ट उक्त भूमि चारागाह(राजकीय)भूमि है। 132 केवी जीएसएस अंजारी–डंगीका के लिए आवंटित हो चुकी है एवं जीएसएस का निर्माण प्रस्तावित है का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

<u>तनकी संख्याः–1,</u> आया वादीगण खसरा नम्बर 25/2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम निगोही तहसील डीग पर हिस्सानुसार वादीगण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराये साक्ष्य प्रदश–6,प्रदर्श–9,प्रदर्श–10,प्रदर्श–11,प्रदर्श–12,प्रदर्श–13 वादपत्र के हाल व साविक खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर होने के कारण वादीगण के पक्ष में कोई मदद नहीं करते है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2064–2067 में हाल खसरा नम्बर 25 मकबूजा चारागाह दर्ज है। प्रदर्श–4 भू–प्रबंध विभाग मिलान क्षेत्रफल है। प्रदर्श–2 साविक खसरा नम्बर 19 व 20 में खुदकाश्त नारायन दर्ज है। प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्बत 2013 में खुदकाश्त नारायन दर्ज है। प्रदर्श–8, खसरा गिरदावरी सम्बत 2014 से 2017 के कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त नारायन सिंह दर्ज है एवं सम्बत 2016 में मकबूजा मिल्कियत सरकार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सावित होता है कि नारायन सिंह को खातेदारी अधिकार नहीं मिले थे। वादीगण ने वादपत्र के विन्दु संख्या 4 में लक्ष्मन सिंह का सजरा पेश किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में उक्त भूमि कभी भी लक्ष्मन सिंह की नहीं रही है। मौके पर कब्जा काश्त न होकर 132 केवी जीएसएस निर्माण प्रस्तावित है।वर्तमान में उक्त भूमि चारागाह दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिस पर खातेदार अधिकार नही मिल सकते है। दावा वादीगण साक्ष्य सिद्व नहीं होने के कारण तनकी संख्या विरूद्व वादीगण ,प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादीगण जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है? तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णीत की जा चुकी है। दावा वादीगण स्वधोषणा सिद्व करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादीगण,प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, दादरसी?

तनकी संख्या 01 व 02 प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। उभय पक्षकारान वादपत्र का खर्च स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्व वादीगण प्रति0 के पक्ष में निर्णीत किये जाने,दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादी साविक नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

दावे की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड। सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड,जबाव,बयान का अवलोकन व उभय पक्ष की लिखित बहस का अवलोकन/मनन किया गया। मुताविक राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्णित आराजी चारागाह(सरकारी भूमि) है जिस पर कनूनन किसी भी स्थिति में वादीगण को खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner